परिपत्र संख्या 07/2019

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2018-19/विविध/ 9912 दिनांक : 17.05.2019

~:~ परिपत्र ~:~

विषयः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के संबंध में प्रस्तुत एस.एल.पी.संख्या 32149-3155/2018 राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स नॉर्थ इण्डिया टी-पार्क्स प्रा.लि. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.08.18 के क्रम में।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 09.03.2015 जारी कर विभिन्न प्रवर्गो की भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए दरे अवधारित की गई। उक्त अधिसूचना के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2263, 2438, 2478, 2479, 2480, 2481 व 2482/2015 दायर हुई। माननीय उच्च न्यायलय ने इन रिट याचिकाओं को निर्णय दिनांक 09.02.2017 से अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के बिन्दू संख्या 6 के परिपेक्ष्य में भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार कर निस्तारित कर दी गयी, जबकि उक्त अधिसूचना के उपरोक्त प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं थे।

राज्य पक्ष की ओर से उक्त निर्णय दिनांक 09.02.2017 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिकाएं संख्या 32149-32155/2018 राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स नॉर्थ इण्डिया टी-पार्क्स प्रा0लि0 व अन्य दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की उक्त विशेष अनुमति यचिकाओं को अपने निर्णय दिनांक 24.08.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा स्वीकार कर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2017 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2018 (विभाग) के पक्ष में पारित किया गया है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.02.17 में राज्य की अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 को निर्वचन किया जाकर जो भी आदेश/ निर्णय विभिन्न न्यायलय द्वारा पारित किये गये हैं अथवा समान प्रकृति के अन्य प्रकरण जो विभिन्न न्यायालयों में लम्बित चल रहे हैं उनमें माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त पारित निर्णय दिनांक 24.08.2018 के अनुसार प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार निर्णय दिनांक 09.02.2017

(अनिता चौधरी)
उप महानिरीक्षक(कर),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2018-19/विविध/ 9913 - 10562 दिनांक : 17.05.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित भवन, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।

5. कार्यालय महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षैत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक एफ–7(29)विधि/रिट/5162 दिनांक 20.11.2018 के संदर्भ में।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप महानिरीक्षक(कर),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर